अंक ५०

नई दिल्ली, अप्रैल २०१४

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'हम पुलिस बल में भी ५० प्रतिशत महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते ?'

डा. जी. के. गोस्वामी

उत्तर प्रदेश कैडर के १९७७ बैच के आई.पी.एस. डी.आई.जी. ट्रेनिंग के पद पर गाज़ियाबाद सी.बी.आई. अकादमी में कार्यरत डी. जी. के. गोस्वामी से थाना स्तर पर पुलिसिंग की विभिन्न समस्याओं पर ज़ीनत मलिक द्वारा लिये गये साक्षात्कार को प्रस्तूत किया जा रहा है।

सर, आपने उत्तर प्रदेश के कई बड़े और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील ज़िलों का नेतृत्व (एस.पी.) के रूप में किया है। एक संवेदनशील क्षेत्र में जनता के मानवाधिकारों की सुरक्षा करते हुए बेहतर पुलिसिंग की क्या नीतियाँ और प्राथमिकताएं होनी चाहिए?

किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय में यह भय होता है कि बहुसंख्यक समुदाय उन पर हावी हो सकता है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में पुलिस को अपनी कार्यवाही में निष्पक्षता का प्रदर्शन करना होगा ताकि समुदाय उन पर बना रहे। इसके अलावा मैं मानता हुँ कि किसी भी बड़े सांप्रदायिक दंगे के पहले छोटी घटनाएं अवश्य रहती हैं। इसलिए, पुलिस को चाहिए कि :–

- किसी भी ऐसी छोटी घटना को अनदेखा न करे और त्वरित कार्यवही करे।
- इसके अलावा, पुलिस प्रायः स्थिति को दबाने के लिए दोनों पक्षों के कुछ लोगों को पकड़ लेती है और उन्हें बंधपत्र द्वारा उग्र गतिविधियों में लिप्त न होने के लिए बाध्य कर देती है जिसे १०७, ११६ द. प्र.सं. की कार्यवाही कहते हैं। दोनो पक्षों को समानुरूप करने के बजाय केवल उन पर कार्यवाही होनी चाहिए जो दोषी हैं, फिर चाहे वह कोई भी हो।
- यदि पुलिस का जनता के साथ नियमित संपर्क हो तो, ऐसी स्थिति को सरलता से सुलझाया जा सकता है और स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है। जब मैं मुरादाबाद में था जोकि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है,तब हमने ज़िले के हर थाने में गठित शांति समिति को बहुत मज़बूत किया था। हांलाकि, प्रायः देखा जाता है कि इस समिति की मीटिंग में थानेदार के कुछ परिचित लोग आ जाते हैं और केवल खाना पूर्ती कर दी जाती है। जबकि इसमें संभ्रांत व्यक्तियों के अलावा संदिग्ध तथा बदमाश लोगों को भी पहचान करके बुलाना चाहिए ताकि उन्हें यह ज्ञात हो जाए कि पुलिस सम्बद्ध घटनाओं पर नज़र रखे हुए है।
- उत्तर प्रदेश की पुलिस नियमावलि के अनुसार सभी थानों में शांति समिति का गठन होना चाहिए और इसकी नियमित मीटिंग होनी चाहिए। इसे भली–भांति कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। थाना प्रभारी के अलावा एस.पी. तथा अन्य बड़े अधिकारियों को भी इसमें भाग लेना चाहिए।
- किसी भी समारोह या त्यौहार के आने के पहले शांति समिति की मीटिंग करके क्षेत्र की हलचल का आकलन करना चाहिए।
- क्षेत्र के स्थानीय इंटेलिजेंस अधिकारी (एल.आई.यू.) से एस.पी. को नियमित संपर्क बनाकर रखना चाहिए और उन्हें क्षेत्र में जाकर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उच्च अधिकारियों का एल.आई.यू. से व्यक्तिगत संपर्क न होने से वह छेत्र से सूचनाओं को नहीं निकालते।
- यदि कोई घटना हो जाती है, उस समय जो १५-३० मिनट का समय है जिसे अत्यंत महत्वपूर्ण समय (गोल्डन आवर) माना जाता है उसी में नियंत्रण किया जा सकता है, इसमें पुलिस को छोटी से छोटी सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश से पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के केसों की संख्या सबसे अधिक है, आपके विचार में इसके क्या कारण हैं?

इसके लिए मैं सबसे पहले तो यह कहुंगा कि जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि पुलिस क्या कर सकती है क्या नहीं। पुलिस ऐसा क्यों करती है? इसके बारे में मैं मानता हुँ कि विषय पर उचित प्रशिक्षण की कमी और पुलिस में मौजूद सामंतवादी विचारधारा के कारण पुलिस अपनी सीमाओं को लांघ जाती है।

पुलिस के सेवारत प्रशिक्षण तथा विषय–वस्तु पर फोकस करने की आवश्यकता है। ६ महीने प्राथमिक प्रशिक्षण के बाद पुलिस को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलता। जिन उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण का दायित्व दिया जाता है न उन्हें इसमें रूचि होती है और न ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को। यदि आवश्यकता हो तो इसके लिए प्रतिबद्ध गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता भी ली जानी चाहिए। यह भी देखने की आवश्यकता है कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उचित अवरसंरचना उपलब्ध है या नहीं। प्रशिक्षक का डिलिवरी सिस्टम ठीक है कि नहीं। प्रशिक्षार्थियों के रहने के लिए कमरे हैं कि नहीं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक संख्या कांस्टेबुलरी की है। यदि हम उन्हें ५-५ दिन का प्रशिक्षण वर्ष में दो बार उपलब्ध कराना चाहें तो यह कब और कैसे सम्भव हो पाएगा। इसलिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, यदि कोई मानवाधिकार का उल्लंघन करे, उसे तुरंत दण्ड दिया जाना चाहिए ताकि दूसरों में भय उत्पन्न हो और पुलिस उल्लंघन से बचने का प्रयत्न करे। फिर, यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी सबसे अधिक है, केसों में वृद्धि का एक कारण यह भी है। मूल समस्या है पुलिस की सामंतवादी मानसिकता में पवितर्न लाने की जिसे प्रशिक्षण से बदला जा सकता है और पुलिस को 'लोक सेवक' का अर्थ समझाना आवश्यक है।

महिलाओं के विरूद्ध बढ़ती हिंसा को रोकने में थाना स्तर पर पुलिस द्वारा क्या निरोधात्मक कार्यवाही की जा सकती है? थाना प्रभारियों को आपका विशेष सुझाव क्या है?

महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराधों का मूल कारण मैं समाज में व्याप्त असमानता और शिक्षा तथा आत्मनिर्भर होने के अवसरों की अनुपलब्धता को मानता हुँ, जो स्वंय परिवार से प्रारंभ होती है। महिलाओं के विरूद्ध अपराध केवल घर के बाहर और शारीरिक हिंसा नहीं है बल्कि यह उनके जन्म से भी पहले केवल संकल्पना के समय से ही उन माता–पिता द्वारा ही प्रारंभ हो जाता है जो उसे जन्म देते हैं। इसके परिणामस्वरूप परिवार से असमानता का व्यवहार प्रारम्भ होता है जो समाज में फैलता जाता है। इसी कारण महिला अपराध पीड़ित होने पर भी रिपोर्ट कराने में संकेत करती है। फिर, जब रिपोर्ट कराने आती हैं, वहां पुलिस से भी उपेक्षित व्यवहार मिलता है। इसे रोकने के लिए मेरा मत है कि जब हमारे यहां महिलाएं ५० प्रतिशत हैं तो हम क्यों न पुलिस में भी ५० प्रतिशत महिलाओं को सम्मिलित करें? क्योंकि, पुलिस एक ऐसी संस्था है जिसके पास अत्यंत कठिनाई के समय में जनता सहायता मांगने आती है। यदि कोई महिला थाने में आए वह अपनी व्यथा एक महिला अधिकारी को बताना चाहेगी न कि पुरूष अधिकारी को। इसलिए, आवश्यकता है कि पुलिस में अविलंब महिलाओं का अनुपात बढ़ाने के लिए विशेषरूप से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

वर्तमान स्थिति में उपस्थित अधिकारियों को महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशील होने और उनके साथ शालीनता का व्यवहार करने की आवश्यकता है न कि उन्हें घटित अपराधों के लिए दोषी ठहराने की, जो कई बार देखने में आता है। साथ ही, हर समय थानों में कोई न कोई महिला अधिकारी उपस्थित होनी ही चाहिए। महिला हेल्पलाईनों पर प्राप्त सूचनाओं पर भी तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

शेष भाग पृष्ठ ३ पर.....

बूझो और जीतो-२८

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड के अंतर्गत, हम पिछले कुछ अंकों से विशेष कानूनों से प्रश्न पूछ रहे हैं जिनके बारे में जानना आप पुलिसकर्मियों के लिए उपयोगी है। इसलिए, अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लें।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. सूचना तकनीक अधिनियम, २००० के अंतर्गत किसी संदिग्ध अपराधी या आरोपी को तलाश करने के लिए क्या पुलिस किसी होटल या क्लब में बगैर वारंट घुस सकती है?

२. क्या किसी होटल के कमरे से किसी के ई–मेल के हैक करने का प्रयत्न करने वाले को, कोई कांस्टेबल गिरफ़्तार कर सकता है?

३. हैकिंग करने वाले को किस प्रावधान के अंतर्गत और क्या दण्ड दिया जा सकता है?

४. सूचना तकनीक अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच का दायित्व किस स्तर के पुलिस अधिकारी को है?

५. क्या विदेश में बैठे किसी हैकर द्वारा सोशल नेटवर्किंग एकाउंट के हैक करने की शिकायत, स्थानीय पुलिस से की जा सकती है?

बूझो और जीतो – २५ का परिणाम

जनवरी २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. हां, किसी व्यक्ति को पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने से रोकना नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम १९५५ के अंतर्गत एक अपराध है। इसके लिए १ से ३ महीने तक के कारावास और १००-५०० रू. तक जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है।

२. हां, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम १९५५ की धारा ५ के अंतर्गत 'अस्पश्यता' के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश न देने के लिए १ से ६ महीने तक के कारावास और १००-५०० रू. तक जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है।

३. अगर अस्पताल का कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति का ईलाज केवल 'अछूत' होने के कारण न करे तो उसे भी धारा ५ के अंतर्गत १ से ३ महीने तक के कारावास और १००-५०० रू. तक जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है।

४. किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती गंद और कूड़ा उठवाने के लिए नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम १९५५ की धारा ७क के अंतर्गत अपराधी को ३ महीने से ६ महीने तक का कारावास और १००-५०० रू. तक का जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है। इसके लिए थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराया जा सकता है।

५. नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम १९५५ की धारा ६ के अंतर्गत निम्न समझे जाने वाले समुदाय के व्यक्ति को ताज़ी सब्ज़ियां बेचने से 'अछूत' होने के कारण इंकार करने के लिए अपराधी को ३ महीने से ६ महीने तक का कारावास और १००-५०० रू. तक का जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है।

विजेता

इस अंक में हमें प्राप्त प्रविष्टियों में से किसी के भी सभी उत्तर सही नहीं थे। इसलिए, इस अंक में कोई भी विजेता नहीं होगा।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या या ईमेल करें –

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–१७७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२९८६४६८८
ई–मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http://www.humanrightsinitiative.org

पुलिसिंग में सत्यनिष्ठा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रचलन और प्रक्रियाएं – भाग (३)

(च) iv. मज़बूत आंतरिक सतर्कता तंत्र

अपरिवर्तनशील, आंतरिक सतर्कता वास्तव में आज़ादी का पुरस्कार है। एक बहुत मज़बूत और पारदर्शी आंतरिक सतर्कता तंत्र का होना बेहद आवश्यक है। ऐसे तंत्र का प्रारम्भ आदर्शतः निवारक सतर्कता के रूप जैसे व्यक्तिगत और कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठा के वर्गीकरण से होना चाहिए। ऐसे कर्तव्य जिसमें उच्चस्तरीय सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है, निम्न स्तरीय सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों से परे रखना चाहिए। इसी प्रकार सत्यनिष्ठा को परखने का, न्यूयार्क पुलिस विभाग और लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस का तरीका भी इस दिशा में एक उचित कदम है। सनाथन समिति द्वारा अनिवार्य बताई गई 'अग्रसक्रिय सतर्कता' भी आवश्यक है। आंतरिक सतर्कता प्रणाली को अपने कर्मचारियों से सम्पर्क बनाए रखने के लिए प्रति गुप्त सूचना का प्रबंध भी करना चाहिए। अग्रसक्रिय खुलासे के तौर पर, भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित आपराधिक केसों/ अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का राष्ट्रीय डाटाबेस सार्वजनिक डोमेन में रखना चाहिए। हमें अग्रसक्रिय रूप से एक मज़बूत ध्यानाकर्षक नीति पर भी विचार करना और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जो भ्रष्टाचार को दर्ज करने का काम कर सके।

v. आपराधिक और राजनैतिक भ्रष्टाचार-अंतिम सीमांत

आपराधिक और राजनैतिक भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अत्यंत प्रबल राजनैतिक ईच्छाशक्ति और बहुत मज़बूत बाहरी निगरानी संस्थाओं के साथ मज़बूत न्यायपालिका और प्रतिबद्ध मीडिया की आवश्यकता है। आपराधिक जांच को प्रभावित करने का अवसर और पुलिस को सम्भावित विपक्षी से सहयोगी में परिवर्तित करने का अवसर, ऐसे अप्रतिरोध्य चुंबक हैं जो अपराधियों को राजनीति में लाते हैं। जहां, इसे निपटने का एक तरीका चुनाव व्यवस्था में सुधार करना है, प्रकाश सिंह बनाम भारत गणराज्य के केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस सुधार के लिए दिये गये छः दिशा–निर्देश पुलिस सुधार की ओर पहला कदम है। जैसा कि विभिन्न पुलिस आयोगों द्वारा समय–समय पर दोहराया गया है, पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप से अलग करना और उसे विधि के शासन और आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाना भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई के लिए आवश्यक घटक हैं। बाहरी निगरानी संस्था जैसे कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण को अधिक सशक्त और निष्पक्ष बनाने और बाहरी निगरानी संस्था के दायित्व का निर्वाह करने की आवश्यकता है। शिकायत तंत्र तक पहुंच को भी सरल बनाना चाहिए, और थानों तक पहुंचने वाली पर्टियों को अनिवार्य रूप से विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

vi. कार्मिक सुधार

जहां एक बेहतर पुलिस बल में भ्रष्टाचार में स्पष्ट रूप से कमी होती है, कुछ ऐसे विशिष्ट उदाहरण हैं जिनसे बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। कांस्टेबुलरी की कार्य स्थिति में सुधार करके जिसमें उनके वेतन और अन्य लाभ सम्मिलित हैं तथा उनके आत्म सम्मान को जगाना भी भ्रष्टाचार के विरूद्ध जंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ाने को हमेशा ही भ्रष्टाचार की प्रवृत्ती के विरूद्ध निवारक प्रभाव रखने वाला माना गया है। सभी अधिकारियों की परिसंपत्तियां और देयताएं बताई जानी चाहिए और पब्लिक डोमेन में रखी जानी चाहिए।

vii. काम की चीज़ को निकाल लेना

नैप आयोग, १९७० ने पुलिस विभाग के भीतर भ्रष्टाचार के प्रश्न का विश्लेषण करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को दो भागों में बांटा – "मांसाहारी" और "घास खाने वाले"। जिसमें पहला उन लोगों के लिए था 'जो अपनी पुलिस की शक्ति का आक्रामकता से उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं।' दूसरा उन लोगों के लिए था 'जो पुलिस के काम के दौरान मिलने वाले रिश्वत को स्वीकार कर लेते हैं।

"घास खाने वाले" शब्द का उपयोग उन पुलिस अधिकारियों के बारे में बतलाने के लिए किया गया है "जो भेंट स्वीकार कर लेते हैं और जो ठेकेदारों, यो ट्रक चालकों, सट्टेबाज़ों से ५, १०, २० डॉलर मांग लेते हैं लेकिन भ्रष्टाचार की आमदनी का अनुसरण नहीं करते।" "शाकाहारी" एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अधिकांश पुलिसकर्मी दोषी हैं, लेकिन ऐसा करना उन्होंने या तो दूसरे सहकर्मियों से सीखा है या फिर उन मुजरिमों की नकल करके जिन्हें वह प्रतिदिन देखते हैं और जांच करते हैं। यहां तक कि निष्कर्ष देते हुए आयोग ने यह भी कहा कि न्यूयार्क शहर में "घास खाने वाले" का उपयोग भाईचारे को सिद्ध करने के लिए किया जाता था और जो साईड जॉब की तरह पारितोषिक माना जाता था। पुलिसकर्मियों को भ्रष्ट होने से रोकने का एक तरीका है उन अनुभवी लोगों को हटाना जो ऐसा करते हैं, सीखने के लिए किसी अनुभवी पुलिसकर्मी के अभाव में, नए अधिकारी शायद कभी भी 'घास खाने' का निर्णय न करें।

"मांसाहारी" उन पुलिस अधिकारियों को कहा गया है जो आक्रामकता से अपना अच्छा–खासा समय उन परिस्थितियों को ढूढने में लगाते हैं जिसमें वह वित्तीय लाभ के लिए शोषण कर सकें।" इसका एक उदाहरण है पुलिस द्वारा वेश्या दलालों और नशीली दवाई विक्रेताओं को खोजना, न केवल वित्तीय लाभ के लिए बल्कि इस अपराधबोध से राहत के लिए भी जिसके द्वारा ऐसे अधिकारी स्वयं को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके पीड़ित ऐसे ही व्यवहार के हक़दार हैं। वे अपराधियों को लाभ उठाते हैं क्योंकि उन्हें समाज का मैल माना जाता है।

मोलेन आयोग जिसने इसी मुद्दे का परीक्षण न्यूयार्क पुलिस विभाग में दो दशकों के बाद १९९४ में किया, स्थिति को अधिक गंभीर पाया। यह कहता है कि जहां "तब भ्रष्टाचार पुलिस अधिकारियों और अपरधियों के बीच रिश्वत लेने और देने, सुरक्षा बेचने और खरीदने में सामंजस्य का भ्रष्टाचार था। आज के भ्रष्टाचार की विशेषता है बर्बरता, चोरी, प्राधिकार का दुरूपयोग और सक्रिय पुलिस की अपराधिता।" एक ही विभाग (एन.वाई.पी.डी.) के दो अलग–अलग समय के रिपोर्टों को पास–पास रखने से पुलिस विभाग में विधमान इस मकड़ी के जाले को साफ़ करने और पुलिस बल में सत्यनिष्ठा के अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता स्पष्ट दिखाई देती है। हमारा यह भी कहना है कि केवल 'मांसाहारियों' पर ध्यान केन्द्रित करना और 'घास खाने वालों' को नज़रअन्दाज़/स्वीकार करना, जैसा कि हम प्रायः करते हैं, अनुचित होगा।

(छ) निष्कर्ष के रूप में

सत्यनिष्ठा का प्रश्न मूलभूत तरीके से प्रक्रियात्मक और मौलिक गतिविधियों से जुड़ा है जो औसतन एक पुलिसकर्मी को करना होता है। अखंडता की कमी सर्वत्र फैली हुई है और लगातार बिना रूके बढ़ती जा रही है और यह किसी रैंक तक सीमित नहीं है। कई पुलिसकर्मी जिसमें पुलिस नेतृत्व और सरकार भी सम्मिलित है यह मानते हैं कि 'अखंडता' एक नैतिक दुविधा है न कि सर्वांगी बुराई है जो पुलिस गतिविधियों और पुलिस कार्य–निष्पादन के संपूर्ण विस्तार को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। कुछ बुरे लोगों पर अत्याचार करके या उन्हें पकड़ कर इस प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह पुलिसिंग के व्यवसाय के भीतर विधमान है। वर्तमान वातावरण में पुराने कानून और कार्य–स्वाधीनता का पर्याप्त अवसर प्रायः तबाही का नुसखा है क्योंकि गलत दिशा में निर्देशित कार्य–स्वाधीनता अत्यंत ख़तरनाक हो सकती है। निहित वर्गीकृत प्रणाली जहां कठिन प्रश्नों को उठाना अनुशासनहीनता माना जाता है, इसमें केवल बढ़ोतरी करता है। जैसा कि ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशल के अध्ययन से स्पष्ट है कि पुलिसिंग के कुछ क्षेत्र में दूसरों की तुलना में सत्यनिष्ठा की अधिक कमी और भ्रष्ट प्रचलन प्रवृत्त हैं। हांलाकि, सत्यनिष्ठा के मापदण्ड को निश्चित करना और उसका स्तरीकरण करना कठिन है, इसमें वास्तविक रूप से सुधार लाया जा सकता है यदि हस्तक्षेप निर्धारित समस्याओं से आगे बढ़कर हो और इस पर निरंतर चौकसी रखी जाए। संदेह करने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए न कि किनारे हटा दिया जाना चाहिए।

एक मुख्य प्रश्न जो हमेशा पुलिस नेतृत्व और आम जनता के मस्तिष्क में घूमती है, क्या पुलिस में एक बल के रूप में परिवर्तन की गुंजाईश है और यह बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपनी भूमिका में बदलाव करने के लिए तैयार है और उक्त 'घास खाने वालों' और 'मांसाहारियों' पर कम से कम कुछ हद तक रोक लगाया जा सकता है?

किसी संस्थान की वैधता का पता, बदले हुए वातावरण और एक समय में इसके अस्तित्व का पुनः आकलन और पूनर्मूल्यांकन करने की क्षमता से लगता है। जब संस्थान पर किसी प्रकार का दबाव हो इसकी नींव पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

जैसा कि हमेशा कहा जाता है, निम्नतम स्तर और शिरोबिन्दु दो ऐसे बिन्दु हैं जहां से नई शुरूआत की जा सकती है। अब बहुत समय हो चुका है कि हम पुलिस के काम में प्रक्रियात्मक और विचारात्मक बदलाव लाएं।

पुलिस द्वारा सत्यनिष्ठा में कमी, अपराधों को रोकने में, पता लगाने में, जांच के दौरान जनता के विश्वास को उनके सहयोग को दुर्बल बना देती है, इससे संसाधन दूसरे मार्ग पर लग जाते हैं और काम करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, इससे संगठित अपराधों और कमज़ोर वर्गों जैसे अनैतिक व्यापार ग्रस्त महिलाओं और शरणार्थियों पर अत्याचार को सहारा मिलता है, और इसे विध्वंसकारी समूहों और आतंकवादियों को सहायता पहुंचाने से भी जोड़ा गया है।

जब पुलिस नेतृत्व, आपराधिक गतिविधियों के प्रति सहनशील हो, उनसे, इसकी सहभागिता हो या वह स्वयं अपराध में शामिल हों, वे अपने मिशन से भटक जाते हैं और सुरक्षा प्रदान करने वाले के बजाय असुरक्षा के चौधरी बन जाते हैं। किसी भी स्थान पर पुलिस की सत्यनिष्ठा को सम्बोधित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन संक्रमणकालीन या छिद्रित सीमा वाले संघर्ष ग्रस्त स्थान पर और साम्प्रदायिक पहचान वाले क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से छुप कर बात सुनने के हमले के परिपेक्ष्य में, पुलिस की सत्यनिष्ठा को सम्बोधित किये बगैर, जनता के लिए उसके 'सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार' को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित परिस्थितियों को बनाना असम्भव हो जाएगा।

जैसा कि प्रख्यात दार्शनिक बर्टनाड रसैल ने ठीक ही कहा है: "अधिकांश बृहत्तम बुराईयां जो एक व्यक्ति ने दूसरे को दी है वह उन लोगों को किसी चीज़ के लिए इतना निश्चित अनुभव कराना है, जो वास्तव में, गलत थी।"

– नवाज़ कोतवाल

क्या आप जानते हैं?

फरवरी महीने के अंक से हम इस स्तम्भ में "सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा" की उत्पत्ती तथा विकास के वर्तमान पहलूओं पर लेख प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला का तीसरा भाग यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

२. समुदाय के साथ बदलते संबंध

• एक बेसलाईन सर्वेक्षण करना

समुदाय की चिंता को सेवा प्रदान करने से असलियत में जोड़ने के प्रयत्न के भाग के रूप में, पुलिस संगठन को यह अवश्य जानना चाहिए कि समुदाय में क्या समाविष्ट है और उनका पुलिस के बारे में क्या विचार है। इसलिए, पुलिसिंग का और पुलिसिंग पर अवधारणाओं का एक आरम्भिक सर्वेक्षण करना, और अंततः किसी भी अभियान की सम्बद्ध सफलता को मापने के लिए महत्वपूर्ण है। इन आँकड़ों का उपयोग बाद में यह समीक्षा करने के लिए किया जा सकता है कि क्या नागरिक सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यान्वयन के बाद अधिक प्रसन्न हैं।

• सामुदायिक सहभागिता

सामुदायिक पुलिसिंग में नागरिकों की सहभागिता और सहयोग महत्वपूर्ण है। इसका दो मतलब है। पहला, पुलिस को समुदाय के साथ आवश्यक रूप से जुड़ना चाहिए। जब सामुदायिक पुलिसिंग की किसी योजना को लाया जाए, पुलिस को साफ़ तौर से यह स्थापित करना चाहिए कि समुदाय के साथ संवाद, सामुदायिक पुलिसिंग अभियान के मूल सिद्धांत के रूप में कार्य करे। दूसरा, यदि सामुदायिक पुलिसिंग योजना का सफल करना है, पुलिस को आरंभ से ही निर्णय लेना होगा कि वे समुदाय की कठिनाईयों के प्रति प्रतिक्रियाशील होंगे। यदि समुदाय ने कुछ ऐसे मुद्दों को चुना है जो पुलिस की प्राथमिकताओं से भिन्न है, पुलिस को समुदाय द्वारा व्यक्त मनोभाव को सम्मिलित करने या पुनः विचार करने के लिए अपनी शैली के साथ सामंजस्य बनाने के लिए तत्पर रहना होगा। इन दोनों में से किसी एक की विफलता सामुदायिक पुलिसिंग में से "समुदाय" को निकाल देता है और यह सुनिश्चित कर देता है कि इस परियोजना पर सामुदायिक स्वामित्व नहीं है।

• सामुदायिक विचार की प्रार्थना सुनिश्चित करना

विशिष्ट रूप से, दक्षिण एशिया में पुलिस कभी–कभार ही समुदाय के लोगों से उन्हें कैसी पुलिसिंग सेवाए चाहिए, यह पूछती है। हांलाकि, सामुदायिक पुलिसिंग को काम करने के लिए, उन्हें लगातार जनता से इन बातों पर विचार प्राप्त करना चाहिए। ऐसा औपचारिक रूप से मासिक या अर्द्धमासिक मीटींग द्वारा किया जा सकता है या अनौपचारिक रूप से लगातार किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि पुलिस और जनता दोनों को ही जनता की सुरक्षा की समस्या के हल ढूढ़ने के लिए बराबर से भाग लेना चाहिए। और आरम्भिक भागीदारी के आधार पर, पुलिस को समुदाय के साथ जुड़ने में अधिक अग्रसक्रिय होना चाहिए।

• समुदाय और पुलिस को अपनी चिन्ताओं की अभिव्यक्ति मार्ग उपलब्ध कराना

जब पुलिस या जनता किसी मुद्दे को उठाना चाहती है, उन्हें ऐसा करने का अवसर या तो औपचारिक रूप से (सामुदायिक मीटिंग) या अनौपचारिक रूप से (एक एक व्यक्ति से बातचीत) द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस प्रकार के फोरम के उपलब्ध होने से सम्भावित तनाव से राहत मिलेगी और यह विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक लाभकारी तरीका है।

• अपराध मापना

समुदाय की जनसंख्या, नेटवर्क, ज़रूरतों और उपलब्ध संसाधनों तथा अपराधों को बेहतर तरीके से मापा जाना चाहिए। यह पूर्व ज्ञान जिसे निरन्तर उद्दिनांकित किया जाना चाहिए, किसी भी सामुदायिक पुलिसिंग अभियान को दूर तक ले जाएगा।

३. सामुदायिक पुलिसिंग की चुनौतियां

जब सामुदायिक पुलिसिंग में अच्छी तरह कार्य–निष्पादन होता है, अपराधों का सम्बोधन अग्रसक्रिय और निवारक हो जाता है। पुलिस अधिकारियों को समुदाय में करीबी सूचना श्रोतों पर आसिन किया जाता है, और समूदाय में आग भड़कने के पहले ही इसकी चेतावनी प्राप्त कर ली जाती है। इस प्रकार समस्याओं को बढ़कर अधिक गंभीर होने के पहले ही वे प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वे समुदाय में ऐसे संबंध भी स्थापित करते हैं जिससे समुदाय में विश्वास बने और यह सुनिश्चित करते हैं कि जब कोई अपराध घटित हो तो समुदाय के सदस्यों के आगे आने की सम्भावना बनी रहे। यह उन समुदायों के लिए विशेष रूप से सही है जिसमें लंबे अरसे से पुलिस पर अविश्वास और उनका भय रहा हो और शायद यह सामुदायिक पुलिसिंग को सबसे शक्तिशाली लाभ हो।

• सामुदायिक पुलिसिंग के बारे में स्पष्ट नीति का अभाव

सामुदायिक पुलिसिंग में सबसे बड़ा बाधा इसके कार्यान्वयन के चरण में आता है। पुलिस और जनता के बीच बड़ी खाई से पुलिस को सामुदायिक पुलिसिंग को परिचित कराने में विफलता प्राप्त हो सकती है। इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं हैं और इसके लिए पुलिस और समुदाय दोनों को ही विशेष धीरज और संकल्प रखना होगा।

दूसरे, दक्षिण एशिया में बहुत कम समुदाय एक समान हैं और इसलिए किसी विशेष मुहल्ले में सामुदायिक पुलिसिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर उनका सहभाजी विचार नहीं हो सकता है। जहां विचारों में विविधता आमतौर पर एक अच्छी चीज़ है, यह पुलिस सेवा को बेहतर डिलीवरी प्रदान करने के लिए एकीकृत रणनीतियों में बाधक सिद्ध हो सकती है।

इसी प्रकार, दक्षिण एशिया में पुलिस सभ्यता और नजरिया एक महत्वपूर्ण बाधा हैं। पुलिस द्वारा जनता के साथ बुरा व्यवहार करना अस्वभाविक नहीं है। परिणाम स्वरूप, शतक नहीं तो दशकों पुरानी पुलिस की सामंती विचार पर विजय प्राप्त करना कठिन होगा।

• धन और संसाधनों की कमी

समुदाय की साझेदारी और वचनबद्धता को कायम रखना सरल नहीं है। पुलिसिंग के लिए उपलब्ध कोष और पुलिस बजट अत्यधिक साधारण है। जब तक कि सामुदायिक पुलिसिंग के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है इस अभियान का विफल होना निश्चित है। सामुदायिक पुलिसिंग के लिए आवश्यक संसाधनों को निकालना बड़ी चुनौती हो सकती है। सैद्धान्तिक रूप से सामुदायिक पुलिसिंग के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मूलतः पुरानी पुलिसिंग के लिए पहले से मौजूद संसाधनों को पुनः अनुकूलन के बारे में है। वास्तविकता यह है कि दक्षिण एशिया में निचले स्तर की कांस्टेबुलरी, सामुदायिक पुलिसिंग के लिए आवश्यक अग्रसक्रिय पुलिसिंग करने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित और तैयार नहीं है (सारूप से भी और कौशल में भी)। इसलिए, सामुदायिक पुलिसिंग परिप्रेक्ष्य में प्रभावपूर्ण तरीके से काम करने के लिए जूनियर पुलिसकर्मियों की योग्यता बढ़ाने, प्रशिक्षण देने और क्षमता निर्माण के लिए थोड़ा धन अवश्य ही एकत्रित किया जाना चाहिए।

– नवाज़ कोतवाल

(नोट: अगले अंक में इस विषय से संबंधित अंतिम भाग के अंतर्गत 'सामुदायिक पुलिसिंग में सम्भावित कठिनाई और सफलता के मूल्यांकन' पर चर्चा प्रस्तूत किया जाएगा।)

आपके विचार

महोदया, सादर प्रणाम!
लोक पुलिस पत्रिका के फरवरी अंक में दो–तीन स्तम्भ अच्छे लगे। सबसे पहले "तथ्य एंव आँकड़े" के अंतर्गत आँकड़ों का सारांश रूपी समावेश, अच्छा प्रयत्न है। इसके अलावा "सामुदायिक पुलिसिंग की उत्पत्ती" पर लेख का पहला भाग भी ज्ञानवर्धक है और दूसरे देशों में सामुदायिक पुलिसिंग की क्या भूमिका है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का अच्छा श्रोत है। मेरी विशेष रूचि पुलिसिंग के स्थानीय मुद्दों जैसे जांच के दौरान कैसे शीघ्र अपराधी का पता लगाना है, सबूतों को प्राप्त करने के लिए किन वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग अमेरिकी और यूरोपीय पुलिस एजेंसियों द्वारा किया जाता है, वहां गवाहों की सुरक्षा प्रदान करने की क्या नीतियां हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यदि सम्भव हो तो इनके बारे में भी मानक प्रचलनों का समावेश ***लोक पुलिस*** में करें।
धन्यवाद!
इंस्पेक्टर, पटना
सदस्य, बिहार पुलिस

संपादिका जी, नमस्कार!
मुझे अकादमी से प्रशिक्षण के दौरान ***लोक पुलिस*** पत्रिका की एक प्रति प्राप्त हुई थी। इसके बाद अब नियुक्ति के बाद जोधपुर में इसे पढ़ने का अवसर मिला है। फरवरी २०१४ का अंक कुछ समय पहले पढ़ा था और इसमें मुझे समाचारों का समावेश बहुत रोचक प्रतीत हुआ। इसके अलावा श्री वी.एम. कंवर जी का साक्षात्कार भी हमारे थाना स्तर की समस्याओं को उजागर करता है। साथ ही इसमें हमारे उत्थान के उपायों को भी संक्षिप्त में बताया गया है। हो सकता है पुलिस नेतृत्व और सरकार को इन विचारों से कुछ प्रेरणा मिले और वे इन सुझावों को हमारे लाभ के लिए कार्यान्वित कर सकें।

महिला कांस्टेबल, जोधपुर
राजस्थान पुलिस

तथ्य एंव आँकड़े

राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों में महिला थानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित राज्य	संख्या
१	आंध्र प्रदेश	३२
२	असम	१
३	बिहार	४०
४	छततीसगढ़	४
५	गोवा	१
६	गुजरात	३२
७	हरियाणा	२
८	जम्मु व कश्मीर	२
९	झारखंड	२२
१०	कर्नाटक	१०
११	केरल	४
१२	मध्य प्रदेश	९
१३	मणीपूर	९
१४	मेघालय	७
१५	ओडिशा	६
१६	पंजाब	७
१७	राजस्थान	२९
१८	तमिलनाडू	१९६
१९	त्रिपुरा	२
२०	उत्तर प्रदेश	७१
२१	उत्तराखण्ड	२
२२	पश्चिम बंगाल	१०
२३	द. एण्ड ना.ह.	१
२४	पौंडिचेरी	३
	समस्त भारत	५०२

* पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्यूरो द्वारा प्रकाशित १ जनवरी २०१३ तक के आंकड़े।

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

श्राजनैतिक एंव अन्य दबावों व हस्त्क्षेपों के बावजूद क्या आज की पुलिस अपनी कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकती है? ऐसे प्रयत्न के लिए क्या मूलमंत्र हो सकता है?

आम तौर पर यह कहा जाता है कि पुलिस पर बहुत प्रकार का दबाव होता है। लेकिन, मैं यह मानता हुँ कि दबाव हर व्यक्ति पर होता है और हमें उससे आगे हटकर अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। अगर आपका कोई व्यक्गित स्वार्थ आपकी नौकरी से जुड़ जाए जैसे कि – किसी विशेष थाने में रहने की ईच्छा, विशेष पद पर बने रहना आदि तब वह आपको भिन्न प्रकार से दुख देगा और आपकी इस कमज़ोरी के कारण हर कोई आपका शोषण करना चाहेगा, इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप भी सम्मिलित है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य और अधिकारों की सीमा के बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो भी करने को कहा जाए आप वह सब करने को तैयार हो जाएं, तब इसका कोई अंत नहीं है। आपको अपनी सीमा रेखा तय करनी होगी।

इसके अलावा, यदि आपके द्वारा जन–कल्याण के लिए पुलिसिंग में कोई नया प्रयोग किया गया हो, कृपया इसके बारे में भी बतलाएं?

कई योजनाएं चलाई थीं, जिसमें समुदाय के साथ मज़बूत संबंध बनाने के लिए हमने मुरादाबाद ज़िले में एक 'पुलिस मित्र गांव योजना' प्रारम्भ की थी जिसके अंतर्गत किसी गांव को ६ महीने के लिए गोद ले लिया जाता था और इसमें किसी प्रकार के पैसे को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसमें हमने अपने मोबाईल नंबर सभी चौराहों पर छपवा दिये थे और गांव में छोटे से छोटे झगड़े की सूचना स्वंय एस.पी. के पास पहुंच जाती थी और उस पर तुरंत कार्यवाही की जाती थी। इस प्रकार किसी भी बड़ी घटना का अवसर ही नहीं छोड़ा जाता था। वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर देने का लाभ यह भी हुआ कि जूनियर स्टाफ भी अनुशासन हीनता या सीमा से बाहर कार्यवाही से बची रहती थी। यह योजना बहुत सफल हुई थी और मेरे जाने के बाद भी कुछ सालों तक वहां जारी थी। इसकी सफलता के रूप में एक घटना के बारे में बताना चाहुंगा कि एक गोद लिये गांव में पंचायत चुनाव के दैरान ई.वी.एम. मशीन ३-४ घंटे नहीं चली और ऐसे में जनता के उग्र होने के भय से सारे बल को तुरंत तैनात कर दिया गया। हमारे वहां पहुंचने पर जनता ने हमसे कहा कि पुलिस को इतनी तैयारी दिखाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह तो गोद लिया हुआ गांव है, यहां कोई दंगा–वंगा तो होना नहीं था। जनता पर यदि पूलिस विश्वास करे तो वह भी पुलिस के काम में सहयोग करने को अपना दायित्व समझती है

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

मुंबई पुलिसः अपने क्षेत्र को जानें अभियान

मुंबई ट्रैफिक पुलिस प्रमुख डा. बी.के. उपाध्याय ने एक नये अभियान 'अपने क्षेत्र को जानें', की शुरूआत की है। इसके अनुसार शहर के सभी २५ ट्रैफिक डिविजनों को उनके क्षेत्र के सभी पार्किंग निषेध, प्रवेष निषेध और एकतरफ़ा रास्तों आदि की सूची बनाने को कहा गया है।

इस अभियान की आवश्यकता तब महसूस की गई जब श्री उपाध्याय ने कुछ अंचलों का वीक्षण किया और उन्हें यह पता चला कि पुलिस अधिकारियों को उनके क्षेत्र के बारे में बुनियादी जानकारी भी नहीं है। यह अभ्यास १७ अप्रैल से प्रारम्भ किया गया।

उपाध्याय के अनुसार, "यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र के प्रत्येक विवरण को जानें। क्योंकि, प्रत्येक कुछ सालों में पुलिसकर्मियों का हस्तांतरण एक विभाग से दूसरे में हो जाता है, जिनकी क्षेत्र में नई नियुक्ति होती है, आमतौर पर पार्किंग निषेध, प्रवेष निषेध और एकतरफ़ा रास्ते कहां पर हैं इससे अंजान होते हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि "उन्होंने सभी २५ अंचलों के वरिष्ठ अधिकारियों को पिछले १० वर्षों का रिकॉर्ड जांच करने और चार्ट तैयार करने को कहा है। इन चार्टों को थाने में नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा ताकि प्रत्येक पुलिसकर्मी इसे देख सके। मैं १० दिनों के बाद सभी अंचलों का वीक्षण यह जांचने के लिए प्रारम्भ करूंगा कि यह चार्ट तैयार हुये हैं या नहीं।"

इसके उद्देश्य के बारे में उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस, मुंबई पुलिस का एक महत्वपूर्ण भाग है और इससे जुड़े सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि –"यदि उन्हें जानकारी नहीं होगी तो वह इसका प्रबंधन कैसे करेंगे?"

डा. उपाध्याय की यह बात तो सही है कि पुलिसकर्मियों को अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर सकें और उन्हें कानून की परिधि में लाने के लिए कार्यवाही कर सकें। आशा की जा सकती है कि इस प्रयोग से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के केसों में कमी आएगी और इस प्रकार इसके प्रबंधन में सुधार होगा।

(सौजन्य : डी.एन.ए.इंडिया डॉट कॉम, १७ अप्रैल २०१४)

पुलिस मुख्यालय में शिशु सदन

अपनी तरह की पहली कोशिश में, महाराष्ट्र पुलिस ने सांगली मुख्यालय में एक शिशुसदन, उन पुलिसकर्मियों के लिए खोला है जो जब काम पर होते हैं, अपने बच्चों के लिए चिन्तित रहते हैं। ऐसे माता–पिता अपने बच्चों को इस शिशु सदन में छोड़ सकते हैं जहां सेवानिवृत्त सरकारी अस्पतालों की नर्सें इनकी देख–रेख करेंगी।

अब महाराष्ट्र के चार अन्य पुलिस मुख्यालयों ने शिशुसदन खोलने के लिए अपनी ईच्छा दिखाई है। राज्य पुलिस विभाग ने मुंबई पुलिस को भी शिशु सदन खोलने के बारे कहा है।

महाराष्ट्र पुलिस में देश में सबसे अधिक १३ प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हैं, स्पेशल आई.जी.ए. राज्य पुलिस प्रशासन अर्चना त्यागी के अनुसार "महिला पुलिसकर्मी ८ घंटों से अधिक समय तक काम करती हैं। उन्हें बच्चों को या तो ससुराल वालों या नौकरानी के पास छोड़कर आना पड़ता है और वे हमेशा चिंतित रहती हैं। हम इन महिलाओं को ऐसे तनाव से मुक्त करना चाहते थे और इसलिए हमने इस शिशु सदन के खोलने की बात सोची"

त्यागी ने शिशु सदन के बारे में बताया कि इसमें एक खेलने का क्षेत्र होगा, भोजन और मनोरंजन की सुविधा तथा आंगनवाड़ी से प्रशिक्षित महिलाएं होंगी। केवल महिला पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि उनके पुलिस साथी भी अपने ६-१० वर्ष के बच्चों को इसमें रख सकते हैं और अपना काम दबाव रहित होकर कर सकते हैं। अभी शिशु सदन की सुविधा पुलिस मुख्यालय तक ही सीमित है क्योंकि अधिकांश महिला पुलिकर्मी वहीं काम करती हैं। सभी मुख्यालयों को इसके लिए केवल अपने अहाते में थोड़ा स्थान उपलब्ध कराना होगा, इसके लिए धन पुलिस कल्याण कोष से निकाला जा रहा है।'

संगली पुलिस अधिक्षक दिलीप सावंत ने कहा "प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है, इसमें २४ बच्चे पहले ही रखे जा चुके हैं। शिशु सदन के खुलने से महिला पुलिसकर्मियों की गैर हाज़िरी में भी कमी आई है। हमारे पास शिशु सदन में एक डॉक्टर और एक प्रशिक्षित नर्स भी है जो सरकारी अस्पताल से सेवानिवृत है। यह सदन सुबह ८ बजे से शुरू होकर १२ घंटों के लिए चलता है।"

पुलिस मुख्यालयों को केवल अपने अहाते में स्थान उपलब्ध कराना है। कम से कम ४ और मुख्यालयों ने इसके लिए ईच्छा दिखाई है।

महाराष्ट्र में खोले गये इस शिशु सदन की सुविधा सभी स्थानों तक शीघ्र बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि, इससे महिलाओं की सबसे बड़ी घरेलु ज़िम्मेदारी बच्चे की देख–रेख की सुविधा उपलब्ध होने से न केवल कार्यरत पुलिसकर्मियों को सहयोग मिलेगा बल्कि इससे पुलिस बल से जुड़ने के लिए अन्य महिलाओं को मनोबल भी प्राप्त होगा।

(सौजन्य : डी.एन.ए.इंडिया डॉट कॉम, २१ अप्रैल २०१४)

पुलिस की तीक्ष्ण दृष्टि- अपराध निवारक प्रयत्न

हांलाकि, दिल्ली पुलिस ने यह कार्यवाही अधिक ताम–झाम के साथ नहीं प्रारम्भ किया था, लेकिन इसके साकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। १८ अप्रैल से 'ऑपरेशन ईगलज़ आई' (तीक्ष्ण दृष्टि की कार्यवाही) अभियान की शुरूआत की गई थी। इसके अंतर्गत ६० पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में बाईक पर दक्षिणी दिल्ली के ३ थाना क्षेत्रों में गश्त लगाना था, इनके अधिकार क्षेत्र से एक भी अपराध की शिकायत नहीं आई है।

एक पायलट प्रोजेक्ट में सरोजनी नगर, आर.के.पुरम और सफदरजंग इंक्लेव क्षेत्र में इसे प्रारम्भ किया गया है और संसाधन उपलब्ध होने पर दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाएगा। इसी दौरान, विशेष आयुक्त (कानून एंव व्यवस्था) श्री दीपक मिश्रा ने सभी थाना प्रमुखों को हिदायत दी है कि सड़कों पर होने वाले अपराधों को कम करने के लिए हर सम्भव उपाय करें। डी.सी.पी. दक्षिणी दिल्ली श्री बी.एस. जायसववाल के अनुसार यह अभियान उनके "क्षेत्र सुरक्षा योजना का भाग है।" और इसका प्रभाव पड़ोस के क्षेत्रों में भी महसूस किया जा रहा है।

इस परियोजना की शुरूआत दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में चेन खींचने की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए किया गया है। इसके लिए तीनों थानों से १०-१० पुलिसकर्मी लिए गए और शेष ३० एस.टी.एफ. और स्पेशल टास्क से लिये गये। ३० बाईक किराये पर ली गई और पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में रहने को कहा गया। बाईक पर पीछे बैठने वाले जवान के पास हथियार और वायरलेस भी दिये गये हैं। एस.टी.एफ. के इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह को इसका समन्वयक बनाया गया और सभी पुलिसकर्मियों को विशेष विवरण प्रदान करने को कहा गया।

उपरोक्त के अलावा इसकी सफलता के लिए अधिकारियों को ५०० मीटर से १ किलोमीटर की परिधि में गश्त लगाना होगा और इसके लिए उन पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है जिन्हें क्षेत्र के चप्पे–चप्पे की जानकारी हो ताकि कोई अपराधी किसी गली या नुक्कड़ से भाग न निकले।

पुलिस के अनुसार, उन्होंने अपने सबसे अच्छे पुलिसकर्मियों को लगाया है और गश्त सुबह ११.३० से ७.३० बजे तक होगी और गश्त भीड़ वाले ईलाके और सुनसान रास्तों पर लगाया जाएगा।

इस परियोजना के प्रारंभ से पहले पिछले ६ महीनों में लूट और चेन खींचने की घटनाओं की अधिकता वाले क्षेत्र का आकलन किया गया था।

जनता को अपराधियों से राहत पहुंचाने के लिए जहां दिल्ली पुलिस की 'ऑपरेशन ईगलज़ आई' एक बेहतरीन कोशिश है वहीं जनता को स्वंय पुलिस की गलत हरकतों से बचाने के लिए, पुलिसवालों के विरूद्ध आसानी से शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नया नंबर उपलबध कराया जाना भी बेहद सराहनीय है। ऐसी बहुमुखी कोशिशों से ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस अपनी साख सुधारने की ओर प्रयत्नशील है और इसके लिए इसे हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी टौल फ्री नंबर इसलिए, यदि अगली बार कोई कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल या कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है या फिर किसी प्रकार के भी भ्रष्ट काम में लिप्त पाया जाता है, उनके विरूद्ध भी आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक नया नं. १०६४ जारी किया है, यह नंबर टौल फ्री होगा।

यह नंबर दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग को आवंटित किया गया है। भ्रष्टाचार विरोधी दूसरा नंबर १०३१ पहले से ही दिल्ली में संचालित है। लेकिन, नये नंबर की विशेषता यह होगी कि यह सीधे दिल्ली पुलिस की देख–रेख में काम करेगा।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २३ अप्रैल २०१४ तथा डी.एन.ए.इंडिया डॉट कॉम, १८ अप्रैल २०१४)

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org